राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ,एन एस आइ सी बिल्डिंग, ओखला, नयी दिल्ली 110020

वेबसाइट—**www.exams.nta.ac.in** **Phone: 011-40759000**
विज्ञापन संख्याः 01/राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी/2024 दिनांकः 25.01.2024
इमेल—**ukhc@nta.ac.in**

चयन हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के अधीनस्थ न्यायालयों (जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयो) में समूह 'ग' के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 57 पदों तथा आशुलिपिक के रिक्त 82 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

नोटः रिक्तियों की संख्या बढायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	25.01.2024
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	25.01.2024
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	22.02.2024
परीक्षा शुल्क *Net Banking/Debit Card*द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	23.02.2024
लिखित प्रतियोगी परीक्षा का अनुमानित तिथि	17.03..2024

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 54 पदों तथा आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के रिक्त 80 पदों एवं कुटुम्ब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 3 पद तथा आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के रिक्त 2 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन—पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एजेंसी की वेबसाइट पर दिनांक 22.02.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नोट—अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरान्त उन्हें विकल्प के आधार पर (अभ्यर्थी की मेरिट व सम्बन्धित जनपद में रिक्ति के अध्याधीन) नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त वर्णित तिथि अनुमानित है तथा परीक्षा की तिथि की

सूचना यथासमय पृथक से एजेंसी की वेबसाइट तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर *SMS* द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र एजेंसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। एजेंसी द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

***** अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भली–भाँति अवश्य पढ़ लें।

1. पदनाम– <u>कनिष्ठ सहायक</u> पदकोड–133

(*i*) रिक्तियों का विवरण तथा उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र0 सं0	उप पदकोड/ जनपद	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO	OC	Ex	PwD	DFF	Open
1.	133.1	कनिष्ठ सहायक (दीवानी न्यायालयों हेतु)								
	अल्मोड़ा	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल–3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–	–	—	00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	00	00	–	–			00
			योग (Total)	00	00	–	–	–	–	00
	बागेश्वर	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–	–	–	00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	–	–			—
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			—
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	03	—	–	–			03
			योग (Total)	03	00	–	–	–	–	03
	चमोली	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	02	00	–	–	–		02
			अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	–	–			—
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			00

			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	—	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	03	01	–	–			02
			योग(Total)	05	01	–	–	–	–	04
	चम्पावत	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल —3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–	–		00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	00	–	–		–	02
			सामान्य (GEN.)	03	00	01	00			02
			योग (Total)	05	00	01	00	–	–	04
	देहरादून	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल —3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	00			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	00	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–	00	–	00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	02	01	01	00			00
			योग (Total)	02	01	01	00	00	–	00
	हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल —3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	00			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	00	–	–			—
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–	00		00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	00	00	—	00			00
			योग (Total)	00	00	—	00	00	–	00
	नैनीताल	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल —3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	02	01	–	—			01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	01	–	–	00	–	00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00

			सामान्य (GEN.)	03	01	–	00			02
			योग (Total)	06	03	–	00	00	00	03
	पौड़ी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	–	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–	–	–	00
			सामान्य (GEN.)	03	00	–	–			03
			योग (Total)	03	00	–	–	–	–	03
	पिथौरागढ	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	–	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	–	–	–	–	–	00
			सामान्य (GEN.)	00	00	–	–			00
			योग (Total)	00	00	–	–	–	–	00
	रूद्रप्रयाग	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	–	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	–	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–	–		00
			सामान्य (GEN.)	01	00	–	–			01
			योग (Total)	01	00	–	–	–	–	01
	टिहरी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	00	–	–			01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	–	–	–	–		00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	–	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	–	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	03	00	–	–			03

			योग (Total)	04	00	–	–	–		04
	उधमसिंह नगर	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	05	01	–	–			04
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	–	–	–			01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	02	01	–	–			01
			आ0क0व0 (E.W.S.)	03	01	–	–			02
			सामान्य (GEN.)	11	01	01	01	01		07
			योग (Total)	22	04	01	01	01		15
	उत्तरकाशी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–	00		00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	–	–	–	–		00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	01	–	–	–			01
			सामान्य (GEN.)	02	01	–	–			01
			योग (Total)	03	01	–	–	–		02
			कुल योग	54	10	03	01	01	00	39

क्र0 सं0	उप पदकोड/ जनपद	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO	**OC**	**Ex**	**PwD**	**DFF**	**Others**
2.	133.2	कनिष्ठ सहायक(कुटुम्ब न्यायालयों हेतु)								
	अल्मोड़ा	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	01	–	–	–			01
			योग (Total)	01	–	–	–	–	–	01

	प्रधान जज, कुटुम्ब न्यायालय देहरादून	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	–	–	–	–		00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	–	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	00	–	–			00
			योग (Total)	00	00	–	–	–	–	00
	विकासनगर देहरादून	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	रूडकी हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 लेवल –3 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–	–		–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00

	लक्सर हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	हल्द्वानी नैनीताल	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	नैनीताल	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	पौडी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00

	कोटद्वार पौडी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 लेवल –3 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	टिहरी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–		–	–	00
	उधमसिंह नगर	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 लेवल –3 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	– अ0जा0 – (S.C.)	–	–	–				–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	खटीमा उधमसिंहनगर	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	01	–	–	–			01
			योग (Total)	01	–	–	–	–	–	01

			अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
	काशीपुर उधमसिंह नगर	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल –3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	01	–	–	–			01
			योग (Total)	01	–	–	–	–	–	01
			कुल योग	03	00	–	–	–	–	03

नोटः–शासनादेश संख्याः *1673/XXX(2)/2010* दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों को अलग–अलग आरक्षण श्रेणी में आबंटित नहीं किया गया है, तथापि आवेदन–पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे, जिससे चयन के उपरांत उन्हें विभागीय आरक्षण रोस्टर में संबंधित श्रेणी में समायोजित *(Adjust)* किया जा सके। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता *[OA, OL or BL]* के अनुरूप ही आवेदन–पत्र भरें। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांगों को उत्तराखण्ड शासन के शाासनादेश संख्याः *312(1)/XXX(2)/2017*दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। दिव्यांगजनों को भी स्वस्थता प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

(ii) वेतनमानः– रू0 21,700–रू0 69,100 (लेवल –03)

(iii) पद का स्वरूपः–अराजपत्रित, स्थायी/अस्थायी एवं अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) आयु सीमा– 21 वर्ष से 35 वर्ष

(v) शैक्षिक अर्हताः–

(a) अनिवार्य अर्हताः–

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता ।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हो।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

(b) अधिमानः–टंकण परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिन्दी टंकण में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि फिर भी एक समान आयु के दो

अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(*vi*)(*a*)<u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type with Multiple Choice)**की 2 घण्टा 30 मिनट की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखण्ड के सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा।

(*b*) टंकण परीक्षा 60 अंकों की होगी।

02- पदनाम – <u>आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक</u> पदकोड– 134

(*i*) रिक्तियों का विवरण तथा उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

क्र0 सं0	उप पदकोड / जनपद	पदनाम / विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO	**OC**	**Ex**	**PwD**	**DFF**	**Open**
1.	134.1	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक(दीवानी न्यायालयों हेतु)								
	अल्मोड़ा	आशुलिपिक रू0 29200–92300 (लेवल –5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	00	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	–	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	01	00	–	–			01
			योग (Total)	02	00	–	–	–	–	02
	बागेश वर	वैयक्तिक सहायक & आशुलिपिक रू0 29200–92300 (लेवल –5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	01	–	–	–			01
			योग (Total)	01	00	–	–	–	–	01
	चमोली	वैयक्तिक सहायक रू0 29200–92300 (लेवल –5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	00	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	00	–	–			01

			आ0क0व0 (E.W.S.)	01	—	–	–			01
			सामान्य (GEN.)	01	00	–	–			01
			योग(Total)	04	00	–	–	–	–	04
	चम्पावत	आशुलिपिक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	00	–	–	–	–	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	00	00	00	00			00
			योग (Total)	01	00	00	00	–	–	01
	देहरादून	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	07	02	–	00	00	–	05
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	00	–	–			01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	05	02	–	–			03
			आ0क0व0 (E.W.S.)	04	01	–	–			03
			सामान्य (GEN.)	11	05	00	01			05
			योग (Total)	28	10	00	01	00	–	17
	हरिद्वार	वैयक्तिक सहायक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	02	00	–	00	00		02
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	00	–	–			—
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	00	–	–			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	01	00	–	–			01
			सामान्य (GEN.)	02	00	—	00			02
			योग (Total)	05	00	—	00	00	–	05
	नैनीताल	वैयक्तिक सहायक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	—	00	–	00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	–	–			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	02	00	–	–			02
			आ0क0व0 (E.W.S.)	01	00	–	–			01

			सामान्य (GEN.)	06	00	—	00			06
			योग (Total)	09	00	—	00	00	—	09
	पौड़ी	आशुलिपिक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	—	—			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	—	—			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	00	—	—			01
			आ0क0व0 (E.W.S.)	01	00	—	—	—	—	01
			सामान्य (GEN.)	00	00	—	—			00
			योग (Total)	02	00	—	—	—	—	02
	पिथौरागढ	वैयक्तिक सहायक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	—	—			—
			अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	—	—			—
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	—	—	—			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	—	—	—	—	—	00
			सामान्य (GEN.)	01	00	—	—			01
			योग (Total)	01	00	—	—	—	—	01
	रूद्रप्रयाग	वैयक्तिक सहायक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	—	—			00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	—	—			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	—	—	—			00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	00	—	—	—	—	00
			सामान्य (GEN.)	01	00	—	—			01
			योग (Total)	01	00	—	—	—	—	01
	टिहरी	वैयक्तिक सहायक रू0 29200—92300 (लेवल —5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	02	00	—	—			02
			अ0ज0जा0 (S.T.)	00	—	—	—			00
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	—	—	—	—	—	00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	—	—	—			00
			सामान्य (GEN.)	02	00	—	—			02

			योग (Total)	04	00	–	–	–		04
	उधमसिंह नगर	आशुलिपिक रू0 29200–92300 (लेवल –5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	03	00	–	–			03
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	–	–	–			01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	02	01	–	–	00		01
			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	00	–	–			02
			सामान्य (GEN.)	13	04	00	01			08
			योग (Total)	21	05	00	01	00		15
	उत्तरकाशी	वैयक्तिक सहायक रू0 29200–92300 (लेवल –5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	00	00	–	–	00		00
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	–	–	–	–		00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	00	–	–	–			00
			सामान्य (GEN.)	01	00	–	–			01
			योग (Total)	01	00	–	–	–	–	01
			कुल योग	80	15	00	02	00	–	63

क्र0 ए	उप पदकाडे / जनपद	पदनाम / विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO	**OC**	**Ex**	**PwD**	**DFF**	**Others**
2.	133.2	वैयक्तिक सहायक / आशुलिपिक (कुटुम्ब न्यायालयों हेतु)								
	अल्मोड़ा	वैयक्तिक सहायक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00

	प्रधान जज, कुटुम्ब न्यायालय देहरादून	वैयक्तिक सहायक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	–	–	–			01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	00	–	–	–	–		00
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	00	–	–			00
			योग (Total)	01	00	–	–	–		01
	विकासनगर देहरादून	आशुलिपिक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–		–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	रूडकी हरिद्वार	आशुलिपिक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	01	–	–	–			01
			योग (Total)	01	–	–	–	–	–	01
	लक्सर हरिद्वार	वैयक्तिक सहायक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00

	हल्द्वानी नैनीताल	आशुलिपिक रू044900—142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	—	–	–			00
			योग (Total)	00	—	–	–	–	–	00
	नैनीताल	आशुलिपिक रू044900—142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	—	–	–			00
			योग (Total)	00	—	–	–	–	–	00
	पौडी	वैयक्तिक सहायक रू044900—142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	—	–	–			00
			योग (Total)	00	—	–	–	–	–	00
	कोटद्वार पौडी	वैयक्तिक सहायक रू044900—142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	—	–	–			00
			योग (Total)	00	—	–	–	–	–	00

	टिहरी	आशुलिपिक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	रूद्रपुर –I उधमसिंह नगर	आशुलिपिक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–		–	–	00
	रूद्रपुर –II उधमसिंह नगर	आशुलिपिक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–		–	–	–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
	खटीमा उधमसिंहनगर	आशुलिपिक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–			–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00

	काशीपुर उधमसिंह नगर	वैयक्तिक सहायक रू044900–142400 (लेवल –7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	–	–	–	–			–
			अ0ज0जा0 (S.T.)	–	–	–	–			–
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	–	–	–	–	–	–	–
			आ0क0व0 (E.W.S.)	–	–	–	–			–
			सामान्य (GEN.)	00	–	–	–			00
			योग (Total)	00	–	–	–	–	–	00
			कुल योग	02	00	–	–	–	–	02

नोटः—शासनादेश संख्याः *1673/XXX(2)/2010* दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों को अलग—अलग आरक्षण श्रेणी में आबंटित नहीं किया गया है, तथापि आवेदन—पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे, जिससे चयन के उपरांत उन्हें विभागीय आरक्षण रोस्टर में संबंधित श्रेणी में समायोजित *(Adjust)* किया जा सके। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता *[OA, OL or BL]* के अनुरूप ही आवेदन—पत्र भरें। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांगों को उत्तराखण्ड शासन के शाासनादेश संख्याः *312(1)/XXX(2)/2017*दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। दिव्यांगजनों को भी स्वस्थता प्रमाण—पत्र देना अनिवार्य होगा।

(ii) वेतनमानः— रू0 29,200—रू0 92,300 (लेवल —05)
रू0 44900— रू0 142400 (लेवल —07)

(iii) पद का स्वरूपः—अराजपत्रित, स्थायी/ अस्थायी एवं अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) आयु सीमा— 21 वर्ष से 35 वर्ष

(v) शैक्षिक अर्हताः—

(a) अनिवार्य अर्हताः—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता ।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा हिन्दी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखते हो।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

(b) अधिमानः—टंकण परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिन्दी टंकण में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि फिर भी एक समान आयु के दो अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाते है तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

*(vi)(a)*लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः—

चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type with Multiple Choice)**की 2 घण्टा 30 मिनट की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखण्ड के सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा।

(b) टंकण परीक्षा 60 अंकों की होगी।

लिखित प्रतियोगी परीक्षा –

*(i)*सामान्य , आ0क0व0 व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे ।

*(ii)*लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्याकंन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

*(iii)*अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक *(O.M.R. Answer Sheet)* ट्रिप्लीकेट में होगें । ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। सभी प्रतियों में इंम्प्रेशन आना अनिवार्य है।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर होंगे।

(ख)यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जायेगा।

(घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेडछ़ाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे।

(च) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं0. अथवा बुकलेट सीरीज दो स्थानों में अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(छ) एजेंसी द्वारा डिलीट (Delete) उत्तरों में सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को समान अंक दिये जायेगें

03- आयु :—

आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी, 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क)–परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

04. अनापत्ति प्रमाण–पत्रः–

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. राष्ट्रीयता :–

किसी व्यक्ति को लिपिकीय वर्ग अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जबकि वह भारत का नागरिक हो।

06. चरित्रः–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के जिससे उसने अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, के प्रधान अधिकारी तथा जो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से जो नातेदार ना हो, जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हो, के द्वारा अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरणः–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में किसी पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

07. वैवाहिक प्रास्थितिः–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

08. शारीरिक स्वस्थताः–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

09.आरक्षणः–

1. ऊर्ध्व आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2. क्षैतिज आरक्षण– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमो/ शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

नोटः– इन पदों के लिए क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण केवल राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य होगा।

(i)''भूतपूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन)शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार)जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह *Open Category* की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोटः–भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोटः–

1. शासनादेशों के नवीनतम् प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का

04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14%तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

2. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%,दिव्यांगजनों के लिए 04% और उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे के लिए 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रियाः—

1. आवेदकों द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट **www.exams.nta.ac in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. आवेदकों को पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर जाना होगा और *"Click here to view"* लिकं पर क्लिक कर अपना *Registration Profile* बनाना अनिवार्य होगा।

3. उम्मीदवारों को आवेदन संख्या बनाने के लिए वैध ई—मेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है।

4. उम्मीदवार को *Registration Profile* में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव *(Save)* करना होगा।
5. उम्मीदवार को हाल की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की 'इमेज' को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
    - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 200 केबी)
    - स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
    - स्कैन किये हुए अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)

6. ' आवेदन संख्या' के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं।

7. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाऐंगे ।

8. अभ्यर्थी आवेदन *Submit* होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।

9.उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नही किया गया है।

10. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है:–

- नेटबैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- यूपीआई

11.<u>शुल्कः–</u>

ऑनलाईन आवेदनपत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (*Net Banking/Debit/Credit Card/UPI*) के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क एजेंसी के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति अभ्यर्थी अपने पास संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने तक सुरक्षित रख ले।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित	रू0 1000.00
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 1000.00
03	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 500.00
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति	रू0 500.00
05	उत्तराखण्ड दिव्यांग	रू0 500.00

नोटः–निर्धारित तिथि तक शुल्क एजेंसी के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा।

12. <u>आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़ें:–</u>

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन आवेदन पत्र में बिना प्रमाण–पत्रो/ संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। 'साईबर कैफे' से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क

जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ लें। आवेदन पत्र भरने के बाद *Final Submit* बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मदेार होगा/होगी तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करे। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः–79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात दिनांक 22. 02.2024 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को *"ONLINE APPLICATION"* प्रक्रिया में *"Submit"* बटन को *"Click"* करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क *ONLINE* जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों के 'प्रिन्टआउट' प्रति भविष्य में एजेंसी से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखे। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा *OTR* तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को एजेंसी की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलखे सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी एजेंसी की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) *OTR* तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें । एजेंसी में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणा/ं प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवतर्न किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(09) एजेंसी द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमाावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमो/ं नियमावलियों/मैनुअल्स/माग–र् दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर एजेंसी द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(10) एजेंसी अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूवर्क अध्ययन कर लें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमो,ं प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(11) एजेंसी द्वारा *Registration* की व्यवस्था में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई–मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरतं प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(13) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे । अपितु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे । इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(14) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट **www.exams.nta.ac.in** पर प्रसारित कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 02 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर एजेंसी द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा इस परीक्षा अथवा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकेगा।

(16) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः—परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(17) परीक्षा भवन में आचरणः— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगें और न ही अव्यवस्था फैलाएंगे तथा परीक्षा संचालन हेतु एजेंसी द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान नहीं करेंगें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका *(OMR)* की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोका जा सकेगा।

(18) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करेंगे और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाएंगे। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शाधेन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करेंगे तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करेंगे। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरूद्व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेगा।

(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि एजेंसी को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(21) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से परीक्षा केन्द्रों के शहर (अनुलग्नक देखें) की वरीयता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(22) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर राज्य के सभी जनपदों में नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयनोपरान्त उन्हें विकल्प के आधार पर (अभ्यर्थी की मेरिट व सम्बन्धित जनपद में रिक्ति के अध्याधीन) नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।

(23) अभ्यर्थी को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट **www.exams.nta.ac.in** का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करे।

(24) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय–

आ0क0व0– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
WO- महिला अभ्यर्थी
OC- उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
DFF- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
Ex- भूतपूर्व सैनिक
PwD- दिव्यांग
OA- एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया)
OL- एक पैर प्रभावित (दांया या बांया)
BL- दोनों पैर प्रभावित

(25) इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभॉति देखकर आवेदन करें । आवेदन–पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

अनुलग्नक- परीक्षा केन्द्रों के शहर की सूची

1 अल्मोड़ा
2 रानीखेत
3 चम्पावत
4 पिथौरागढ
5 नैनीताल
6 हल्द्वानी
7 रूद्रपुर
8 खटीमा
9 बागेश्वर
10 पौडी
11 श्रीनगर
12 कोटद्वार
13 गोपेश्वर
14 टिहरी
15 रूद्रप्रयाग
16 उत्तरकाशी
17 देहरादून
18 ऋषिकेश
19 हरिद्वार
20 रूडकी